


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर:: कार्यालय आदेश ::

श्री बनवारी लाल मीना जिनकी जन्मतिथि 08.07.1978 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 27.06.2021 को निधन हो चुका है। अतः श्री बनवारी लाल मीना, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सपोटरा (करौली) की सेवाएं निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 27.06.2021 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बनवारी लाल मीना के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-91 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवासमाप्ति/भौगक/2015-16/269 दिनांक: 02/07/21
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, करौली
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सपोटरा, करौली
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. प्रधानाचार्य, राउमावि, सपोटरा, करौली
8. आश्रित स्व. श्री बनवारी लाल मीना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान।
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

श्री अरविन्द कुमार, व्याख्याता गणित, राउमावि भावली, करौली जन्मतिथि 16.06.1966 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.01.1986 है। श्री अरविन्द कुमार का इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगकृ/स्वै0सेनि/2012/123 दिनांक: 16.03.21 द्वारा दिनांक 01.04.21 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जारी किया गया।

सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री अरविन्द कुमार, व्याख्याता गणित के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगकृ/स्वै0 सेनि/2012/146 दिनांक:- 02-08-2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि भावली, करौली
5. संबंधित कार्मिक श्री अरविन्द कुमार ।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/शाला दर्पण/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजां को सूचनार्थ ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर